रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277646
CG-DL-E-04112026-277646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5751] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 5751] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

का.आ. 5983(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ओड़िशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के किमी 72.400 (डिजाइन किमी 0.00) से किमी 79.800 (डिजाइन किमी 11.670) तक बलांगीर शहर के लिए बाइपास रोड का ईपीसी मोड पर निर्माण के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, बलांगीर को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम

होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

ओड़िशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के किमी 72.400 (डिजाइन किमी 0.00) से किमी 79.800 (डिजाइन किमी 11.670) तक बलांगीर शहर के लिए बाइपास रोड का ईपीसी मोड पर निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: बलांगीर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बलांगीर					
गांव का नाम: खुजेलपालि					
1	1212/2094	निजी	एग्रीकल्चर	0.1300001 (एकर)	0.0526103
2	1212/2095	निजी	एग्रीकल्चर	0.1700001 (एकर)	0.0687981
3	1212/2096	निजी	एग्रीकल्चर	0.0099999 (एकर)	0.0040469
गांव का नाम: विष्णुमुण्डा					
4	1119	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0489999 (एकर)	0.01983
5	1144	निजी	एग्रीकल्चर	0.0489999 (एकर)	0.01983
6	1146	निजी	एग्रीकल्चर	0.0099999 (एकर)	0.0040469
7	431/2984	निजी	एग्रीकल्चर	0.0449999 (एकर)	0.0182112
8	682	निजी	एग्रीकल्चर	0.0820001 (एकर)	0.033185
9	684	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (एकर)	0.0080939
10	689	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.02 (एकर)	0.0080939
11	692	निजी	एग्रीकल्चर	0.0400001 (एकर)	0.0161878
12	836	निजी	एग्रीकल्चर	0.004 (एकर)	0.0016188
13	836/3291	निजी	रेज़िडेन्शल	0.0080001 (एकर)	0.0032376
14	839	निजी	एग्रीकल्चर	0.0129999 (एकर)	0.005261
15	841	निजी	एग्रीकल्चर	0.0760001 (एकर)	0.0307568
16	842	निजी	एग्रीकल्चर	0.526 (एकर)	0.2128693
				Total	**0.5066775**

[फा. सं. 12037/05/2014/ORS/P-5/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026

S.O. 5983(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of Bypass Road to Bolangir town from Km 72.400 (Design Km 0.00) to Km 79.800 (Design Km 11.670) of NH-26 in the State of Odisha on EPC mode.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar, Balangir in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for Construction of Bypass Road to Bolangir town from Km 72.400 (Design Km 0.00) to Km 79.800 (Design Km 11.670) of NH-26 in the State of Odisha on EPC mode.

State: ODISHA			**District: BALANGIR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Balangir					
Village: Khujenpali					
1	1212/2094	Private	Agriculture	0.1300001 (Acre)	0.0526103
2	1212/2095	Private	Agriculture	0.1700001 (Acre)	0.0687981
3	1212/2096	Private	Agriculture	0.0099999 (Acre)	0.0040469
Village: Bishnumunda					
4	1119	Government	Non Agriculture	0.0489999 (Acre)	0.01983
5	1144	Private	Agriculture	0.0489999 (Acre)	0.01983
6	1146	Private	Agriculture	0.0099999 (Acre)	0.0040469
7	431/2984	Private	Agriculture	0.0449999 (Acre)	0.0182112
8	682	Private	Agriculture	0.0820001 (Acre)	0.033185
9	684	Private	Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
10	689	Government	Non Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
11	692	Private	Agriculture	0.0400001 (Acre)	0.0161878
12	836	Private	Agriculture	0.004 (Acre)	0.0016188
13	836/3291	Private	Residential	0.0080001 (Acre)	0.0032376
14	839	Private	Agriculture	0.0129999 (Acre)	0.005261
15	841	Private	Agriculture	0.0760001 (Acre)	0.0307568
16	842	Private	Agriculture	0.526 (Acre)	0.2128693
				Total	**0.5066775**

[F. No. 12037/05/2014/ORS/P-5/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.04 14:05:45 +05'30'